[illegible] बनाम श्री मंदिर [illegible] क्र. 94/21

आज्ञा पत्र

	पत्रावली पेश। [illegible] दिनांक 5.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
5.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.7.24 को पेश हो। [signature]	
16.7.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट डिसमिस की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 94 / 2021

1 चन्द्राराम पुत्र स्व. चुन्नाराम
2 किशनाराम पुत्र चुन्नाराम
3 भींवाराम पुत्र चुन्नाराम
4 म. चावली बेवा चुन्नाराम
5 कालूराम पुत्र देबूराम
6 भगवानाराम पु देबूराम
7 गोपीराम पुत्र देबूराम
8 प्रभुराम पुत्र देबूराम
9 गणपत राम पुत्र देबूराम
समस्त जाति सैनी माली निवासीगण हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।
10 डॉ. राजकुमारी भार्गव धर्म पत्नी अविनाश जाति भार्गव निवासिनी पुलिस लाईन के सामने, सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्तिमन्दिर नृसिंहजी वाके ग्राम दूजोद तहसील व जिला सीकर राज. जरिये पुजारी श्रीमती पतासी देवी धर्म पत्नी स्व. नारायणदास आयु 58 वर्ष जाति स्वामी निवासिनी दुजोद तहसील व जिला सीकर राज.।
2 जीवणराम पुत्र परतूराम
3 पोखरराम पुत्र स्व. लिखमाराम
4 सुरेशराम पुत्र स्व. लिखमाराम
5 मु. सुवती धर्म पत्नी स्व. लिखमाराम
समस्त जाति माली निवासीगण हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 सुखली पत्नी सांवरमल सैनी पुत्री कानाराम जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर हाल निवासिनी मण्डी के पास मुकन्दगढ़ वार्ड नम्बर 7 मुकन्दगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 किशोर कुमार पुत्र स्व. कानाराम
8 झाबरमल पुत्र स्व. कानाराम
9 शिवप्रसाद पुत्र स्व. कानाराम समस्त जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर
10 माली देवी पत्नी हनुमान प्रसाद सैनी पुत्री कानाराम जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर राज. हाल निवासिनी कुआ अ.वाला उदयपुरवाटी वार्ड नम्बर 1 जिला झुन्झुनू राज.।
11 ग्यारसी देवी पत्नी बद्रीप्रसाद पुत्री कानाराम जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर हाल निवासिनी श्यामावाली ढाणी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
12 राजू देवी पत्नी हरीश कुमार सैनी पुत्री कानाराम जाति सैनी निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर राज. हाल निवासिनी वार्ड नम्बर 22 सीकर राज।
13 सन्तोष देवी पत्नी महावीर प्रसाद सैनी पुत्री बद्रीप्रसाद जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर हाल कुआ अठवाला उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
14 पूर्णमल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।
15 बिमला देवी पत्नी पवन कुमार सैनी पुत्री बद्रीप्रसाद जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.। हाल निवासी वार्ड नम्बर 7 उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
16 माया देवी पत्नी सागरमल सैनी पुत्री बद्रीप्रसाद जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर राज. हाल निवासी वार्ड नम्बर 32 राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
17 मूलचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद जाति माली निवासी हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 हेमन्त कुमार पुत्र प्रदीप कुमार जाति अग्रवाल महाजन निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर।

19 श्रीमति सरोज देवी पत्नी नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी देवगढ़ हाल आबाद राणी सती रोड़ सीताराम र्मा देवगढ़ वाले के मकान में सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

20 नन्दकिशोर पुत्र मोतीराम जाति ब्राह्मण निवासी देवगढ़ हाल आबाद राणसती रोड़ सीताराम र्मा देवगढ़ वाले के मकान में सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

21 उप पंजीयक अधिकारी सीकर।

22 राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध दिनांक 11.09.2011 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर आरएएस श्री जेपी त्यागी बउनवानी वाद माफी मंदिर श्री नृसिंहजी बनाम चन्द्राराम आदि वाद संख्या 31/2006 दावा बाबत दावा इस्तकरार हक हुक्मइम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88, 188, 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ही न्यायालय को निर्णय पारित करना होता है। विचारण न्यायालय में दावा के विचारण के दौराने प्रतिवादीगण संख्या 9 कानाराम का दिनांक 15.08.2010 को एवं बद्रीराम प्रति. 10 का दिनांक 19.01.2010 को स्वर्गवास हो चुका था तथा उनके कायम मुकामान की कार्यवाही वादीपक्ष द्वारा नहीं की गई थी। इस प्रकार चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त दोनों व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेशशुदा है। हर प्रकरण का निस्तारण चरणबद्ध तरिके से प्रकियाओं एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुए न्यायालय को किया जाना चाहिए परन्तु इस प्रकरण में ना तो तनकीके अनुसार बयान लिए गए ना ही तनकीयों पर विचार एवं निष्कर्ष निकालते हुए निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में स्वतः ही नया कैश मैकअप कर निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकरण में उपस्थित प्रतिवादियों को वादी के गवाहान से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने बिना कानूनी प्रकियाएं अपनाए, बिना जिरह के, बिना किसी प्रामाणिक दस्तावेज एवं साक्ष्य के मूल्यांकन के बगैर मनमाना निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1966 सुप्रिम कोर्ट पेज 785, आरएलआर 1986 पेज 986, एआईआर 2001 सु.कोर्ट पेज 203, डब्ल्यूएलएन 1987(2) राज. एचसी पेज 763 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां शाश्वत नाबालिग मूर्ति मन्दिर श्री नरसिंह जी की खातेदारी व कब्जे अधिकार की है। ऐसी भूमियों पर किसी के भी खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नहीं होते है। इस संदर्भ में विधि में स्पष्ट प्रावधान है विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 व 46 की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय में नवीन खसरा नम्बर 365, 367, 369, 375, 378, 379, 380, 381 व 1149 कुल किता 9 कुल रकबा 5.49 हैक्टेयर का दावा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर का साबिक खसरा नम्बर 172/2 व 162/1 है। साबिक खसरा नम्बर 156 जिसके नवीन खसरा नम्बर 364 है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का दावा भी वादी/रेस्पो संख्या 1 ने अलग से प्रस्तुत किया है जो दावा माननीय विचारण न्यायालय ने डिकी किया तथा अपील होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील भी खारिज की है तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया है तथा दिनांक 19.04.2018 को साबिक खसरा नम्बर 156, नवीन खसरा नम्बर 364 का खाता मूर्ति मंदिर के नाम हो चुका है। विचारण न्यायालय ने अन्य मूर्ति मंदिरो के जमीन के संबंध में जो निर्णय दिया है उससे वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई लेने देने नहीं है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विवादित भूमियों के अलावा खसरा नम्बरान जो कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है के खिलाफ कोई अपील या कार्यवाही नहीं हुई है तथा उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है। ऐसी अवस्था में भी अपील चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2000 (1) पेज 579, आरएलडब्ल्यू 2002 आरजे पेज 503, आरआरडी 2002 पेज 252, आरआरडी 1983 पेज 594 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली वादी की शहादत में नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय में दिनांक 29.06.2011 को पत्रावली प्रतिवादी की जिरह हेतु नियत की थी। इसके पश्चात विचारण न्यायालय ने वादी की साक्ष्य बंद किये बिना, प्रतिवादी को शहादत का अवसर प्रदान किये बिना, उभयपक्ष की बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का वर्ष 2010 स्वर्गवास होने के पश्चात भी उनके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 365, 367, 369, 375, 378, 379, 380, 381, 1149 कुल किता 9 कुल रकबा 5.49 हैक्टेयर वाके ग्राम हर्ष तहसील सीकर के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री से कुल किता 51 रकबा 691 बीघा 4 बिश्वा की डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर